राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक:– एफ 1(1)(4) आप्रसआ / सामान्य / 2011 / 10014-30 जयपुर, दिनांक 6-08-12

अधिसूचना

जिला कलेक्टर्स से प्राप्त फसल रबी सम्वत 2068 की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राज्य के दौसा, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर जिलों के 771 गांवों को अधिसूचना क्रमांक 3943–81 दिनांक 25.3.2012 से तथा खरीफ फसल सम्वत 2068 की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राज्य के अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जयपुर, नागौर के 2968 गांवों को अधिसूचना क्रमांक 5617–42 दिनांक 3.5.2012 से 15.7.2012 तक की अवधि के लिए राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभावग्रस्त घोषित किया गया था।

अपर्याप्त वर्षा होने के कारण उक्त जिलों मे से अजमेर, बाड़मेर, चूरू, नागौर एवं जैसलमेर जिलों में राहत गतिविधियां संचालन की अवधि अधिसूचना क्रमांक 8695–722 दिनांक 13.7.2012 से 31.7.2012 तक बढ़ाई गई थी जिससे इन जिलों में अभावस्थिति जारी रहने के कारण 15 अगस्त, 2012 तक बढाया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान उक्त पांच जिलों के प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 15 अगस्त, 2012 तक लागू रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अभय कुमार)
शासन सचिव